बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

आदेश

सं0सं0–12 / मुक0–08–08 / 2024–482 पटना / दिनांक– 31.01.2025

एल0पी0ए0सं0–844 / 2016 बिहार कर्मचारी चयन आयोग बनाम बिहार राज्य एवं अन्य मामले में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 06.12.2016 को पारित न्याय निर्णय के अनुपालन में बिहार कर्मचारी चयन आयोग का विज्ञापन सं0–1906 / 2006, कनीय अभियंता (असैनिक) के पद पर पूर्व में प्रेषित 19 (उन्नीस) अभ्यर्थियों की अनुशंसा आयोग ने अपने पत्रांक–4676 / आ0 दिनांक–16.11.2023 द्वारा वापस लिये जाने के मामले में विधि विभाग, बिहार, पटना से परामर्श प्राप्त की गई है, जो निम्नवत् है :–

" In my considered opinion it would be unjust, unfair and would amount to premium to delay and latches on the part of the Staff Selection Commission, if they are allowed to revise the result consequently leading to removal of engineers after have been served for more than 13 years, Apart from there long service, the intervening confirmation and promotion and re-induction of similarly situate person and acute shortage of Junior Engineers in respective departments, commulatively persuade me to opine that inordinate delay in taking timely action should not be condoned to the disadvantage of those who have long years service to their credit. I am thus of the considered view that such of the 19 petitioners who have continued in employment notwithstanding, order dated 06.12.2016 Supra, should be allowed to continue in service till their superannuation."

अतः विज्ञापन सं0–1906 / 2006 के तहत जल संसाधन विभाग में नियुक्त एवं कार्यरत जिन 11 (ग्यारह) अभ्यर्थियों की अनुशंसा आयोग ने अपने पत्रांक–4676 / आ0 दिनांक–16.11.2023 द्वारा वापस ली गयी है, को विधि विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त उक्त परामर्श एवं विभागीय निर्णय के आलोक में उनकी सेवा सेवानिवृत्ति की तिथि तक यथावत् रखा जाता है।

2. सिविल अपील सं0–2525–2516 / 2013 (Arising out of SLP (C)-5752-53/2008) राजेश कुमार एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य तथा सिविल अपील सं0–2517 / 2013 (Arising out of SLP (C)-6456/2008) अभिषेक कुमार एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 13.03.2013 को पारित न्याय निर्णय एवं विभागीय निर्णय के आलोक में जल संसाधन विभाग के अंतर्गत नियुक्त एवं कार्यरत 11 (ग्यारह) कनीय अभियंताओं (असैनिक) की आपसी पारस्परिक वरीयता निर्धारित करते हुए विज्ञापन सं0–1906 / 2006 के तहत चयनित अभ्यर्थियों से नीचे निम्नरूपेण रखा जाता है :–

क्र0 सं0	कनीय अभियंता का नाम	आई0डी0 सं0	विभागीय पत्रांक–5818 दिनांक–02.11.2016 द्वारा निर्धारित वरीयता	आयोग के पत्रांक–4676 / आ0 दिनांक 16.11.2023 द्वारा पुनर्मूल्यांकन के उपरान्त प्राप्तांक	नवनिर्धारित वरीयता
1	2	3	4	5	6
1	श्री अखिलेश कुमार	J10002	6713	69	6778 (i)
2	श्री अमरेन्द्र कुमार	J10050	6751	60.5	6778 (ii)
3	श्री उमेश सिंह	J10020	6726	55.5	6778 (iii)
4	श्री शेखर कुमार	J10001	6712	51.5	6778 (iv)
5	श्री प्रदीप कुमार	J9988	6699	34.5	6778 (v)

क्र0 सं0	कनीय अभियंता का नाम	आई0डी0 सं0	विभागीय पत्रांक–5818 दिनांक–02.11.2016 द्वारा निर्धारित वरीयता	आयोग के पत्रांक–4676/आ0 दिनांक 16.11.2023 द्वारा पुनर्मूल्यांकन के उपरान्त प्राप्तांक	नवनिर्धारित वरीयता
1	2	3	4	5	6
6	श्री शशि कुमार	J9913	6633	31	**6778 (vi)**
7	श्री विनय कुमार	J9940	6659	22.5	**6778 (vii)**
8	श्री धनंजय कुमार	J9934	6653	18	**6778 (viii)**
9	श्री तरुण कुमार	J9972	6685	16	**6778 (ix)**
10	श्री प्रमोद कुमार सिन्हा	J9926	6646	11	**6778 (x)**
11	श्री पंकज कुमार सिंह	J10022	6728	–5.0	**6778 (xi)**

उक्त कॉलम–4 में अंकित वरीयता क्रमांक को विभागीय पत्रांक–5818 दिनांक–02.11.2016 द्वारा निर्धारित वरीयता से विलोपित करते हुए कॉलम–6 में क्रमशः अंकित नया वरीयता संख्या निर्धारित किया जाता है।

3. उक्त निर्धारित वरीयता सूची पर यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो इस आदेश के प्रकाशन की तिथि से 15 (पंद्रह) दिनों के अंदर आवश्यक अभिलेखों/साक्ष्यों के साथ नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित अवधि के अंदर कोई दावा/आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो यह समझा जाएगा कि इस संबंध में किसी को कुछ नहीं कहना है एवं उक्त निर्धारित वरीयता सूची को निर्धारित अवधि के उपरांत अंतिम रूप से प्रकाशित की जाएगी तथा भविष्य में उक्त वरीयता सूची से संबंधित अन्य कोई दावा मान्य नहीं होगा।

4. आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

31/01/25

(गुंजन कुमार)
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक –12/मुक0–08–08/2024–482 पटना/दिनांक – 31.01.2025

प्रतिलिपिः– संयुक्त सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना को उनके पत्रांक–2382/आ0 दिनांक–25.07.2024 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

31/01/25

अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक –12/मुक0–08–08/2024–482 पटना/दिनांक – 31.01.2025

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ सभी अपर सचिव, जल संसाधन विभाग/सभी उप सचिव, जल संसाधन विभाग/प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग के प्रधान आप्त सचिव/माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव/सभी अवर सचिव, जल संसाधन विभाग/सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/01/25

अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक –12/मुक0–08–08/2024– 482 पटना/दिनांक – 31.01.2025

प्रतिलिपिः– जल संसाधन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी अभियंताओं को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उक्त आदेश के कंडिका–3 के तहत उक्त वरीयता सूची में त्रुटि का दावा ससमय अपने नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

31/01/25
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक –12/मुक0–08–08/2024– 482 पटना/दिनांक – 31.01.2025

प्रतिलिपिः– कार्यपालक अभियंता, IT, जल संसाधन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

2. अनुरोध है कि उक्त आदेश को 15 दिनों तक बुलेटिन के रूप में विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करेंगे।

31/01/25
अवर सचिव (प्रबंधन)।